



उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी, का कार्यालय, गुमला।
(पंचायत शाखा)

ज्ञापांक VI-01 / 2021.....521...../ ग्रा0पं0 गुमला

दिनांक16 / 10 / 2021

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
गुमला।

सेवा में,

जिला वेब मैनेजर-सह-
अपर समाहर्ता, गुमला

विषय :- 15वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवा, सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने हेतु अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन को अपरिहार्य कारणों से रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय 15वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवा, सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 490 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा प्रकाशित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है।

निदेशित किया जाता है, कि संलग्न सूचना को जिला के वेबसाईट www.gumla.nic.in पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

501

उप विकास आयुक्त,
गुमला।

ज्ञापांक VI-01 / 2021.....521...../ ग्रा0पं0 गुमला

दिनांक16 / 10 / 2021

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Quang
16/10/21
उप विकास आयुक्त,
गुमला।



उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी, का कार्यालय, गुमला।
(पंचायत शाखा)

आम सूचना

PR NO- 254435

सूचित किया जाता है, कि 15वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक -सह- कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवा, सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक -490 दिनांक 05.10.2021 को प्रकाशित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है।

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी,
गुमला के आदेशानुसार।